न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—(2021/00001)

1. मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड बी—4/183, चित्रकूट योजना, प्रताप स्टेडियम के पास, जयुपर ।

अपीलांट

बनाम

1. मैसर्स राघव ड्रीम बिल्डर्स पंजीकृत कार्यालय शॉप नंबर 2, नियर पारदया हॉस्पिटल, डिग्गी रोड़, सांगानेर जरिये प्रोपराईटर गिरिराज चौधरी पुत्र रामचन्द्र, जाति जाट, निवासी ग्राम मनोहरियावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
2. तहसीलदार, फागी, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश विद्वान सहायक कलक्टर, फागी, जिला जयपुर दिनांक 20.8.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 64/2020.

उपस्थितः—

1. श्री प्रतीक शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री शिशुपाल जाट, वकील रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 05.1.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, फागी के अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 20.8.2020 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में पेश की गई थी । अप्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा मान0 राजस्व मण्डल में मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर मान0 राजस्व मण्डल ने आदेश दिनांक 23.12.2020 द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत अपील न्यायालय हाजा को स्थानातंरित की है ।
2. प्रार्थी/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 सहायक कलक्टर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 436/1 रकबा 1.9094 है0 भूमि वाकै ग्राम थला, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें 143/151 हिस्से का प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त चला आ रहा है । विवादित आराजियात से अप्रार्थी का कोई संबंध नहीं है । अप्रार्थी संख्या 1 को हाईटेंशन तारों को काफी बड़े पोल लगाकर आगे ले जाने की आवश्यकता होने पर पूर्व में खातेदारों से सहमति अनुसार वादी की उक्त आराजियात के उत्तरी दिशा में थला जाने वाली रोड़ की ओर पोल लगाने को कहा था परन्तु प्रतिवादी द्वारा अन्य खातेदारों को फायदा पहुंचाने की नियत से वादी के उक्त आराजियात के बीचो—बीच पोल लगाने पर आमादा है जिसका प्रतिवादी को कोई विधिक अधिकार नहीं

है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से प्रार्थी की उपजाऊ आराजी बंजर हो जावेगी तथा प्रार्थी के खेत के दो टुकडे हो जायेंगे तथा हाईटेंशन तारों की वजह से काश्त करने एवं किसी भी वक्त बिजली की चपेट में आकर दुर्घटना घटित होने की संभावना बनी हुई है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने दिनांक 20.8.2020 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित कर अप्रार्थी/अपीलांट को विवादित आराजी खसरा नंबर 436/1 रकबा 1.9094 है0 वाके ग्राम थला, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में निर्माण नहीं करने, पोल खम्भे आदि नहीं लगाने एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबंद किया। अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट/अप्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जयुपर के न्यायालय में अपील पेश की जो मान0 राजस्व मण्डल के मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 23.12.2020 द्वारा हाजा न्यायालय को स्थानातंरण से प्राप्त हुई है ।

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय क निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अपीलांट पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार उद्यम) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है जो कि उच्च शक्ति विद्युत परिक्षण लाईनों तथा क्षेत्रीय व राष्ट्रीय ग्रिड स्थापना व संचालन के कार्य में संलग्न है जो कि विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत डीम्ड लाईसेन्सी तथा केन्द्रीय परिक्षण उपयोगिता का विधिक दर्जा रखती है तथा यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा घोषित नवरत्न कम्पनी है । अपीलांट भारत सरकार का उद्यम होने के नाते अपीलांट द्वारा समस्त कार्य जनहित व जन उपयोग हेतु किये जाते है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा अपीलांट को अजमेर–फागी 765 केवी डी/सी लाईन के निर्माण की स्वीकृति अंतर्गत धारा 68 (1) विद्युत अधि0 2003 मैसर्स अजमेर–फागी ट्रांसको लिमिटेड को दी गई है। अजमेर–फागी 765 केवी डी/सी लाईन के निमार्ण से पूर्व आपत्ति प्राप्त करने हेतु एक पब्लिक नोटिस अखबार दिनांक 23.11.2019 में प्रकाशित किया गया एवं तदोपरांत मैसर्स पॉवर ग्रिड अजमेर–फागी ट्रांसमिशन लिमि0 द्वारा धारा 164 विद्युत अधि0 2003 के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए 164 का अनुमोदन दिनांक 7.7.2020 को भारत के राजपत्र दिनांक 22.7.2020 को प्रकाशित किया गया व मैसर्स पॉवर ग्रिड अजमेर–फागी ट्रांसमिशन लिमि0 को 164 विद्युत अधि0 2003 को अनुमोदन देते हुए इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट की समस्त शक्तियां प्रदान कर दी गई । भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 22.7.2020 के अनुसरण में किये जाने वाले अजमेर–फाागी 765 केवी डी/सी लाईन के निर्माण हेतु जब अपीलांट कार्य करने हेतु विपक्षीगण की भूमि पर गये तो विपक्षीगण द्वारा विरोध किया गया किन्तु विपक्षीगण नहीं माने तथा एक राजस्व वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 में पेश किया जिसमें अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 20.8.2020 को एकतरफा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया है । अधी0न्याया0 के अपीलाधीन अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश से अपीलांट द्वारा राष्ट्रहित में किये जा रहे अजमेर–फागी 765 केवी डी/सी लाईन के निर्माण कार्य में व्यवधान आ रहा है । जबकि अपीलांट द्वारा उक्त कार्य दिनांक 31.12.2020 से पूर्व किया जाना निर्देशित है । अपीलांट द्वारा किया जा रहा कार्य पूर्णतः जनहित का कार्य है जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना पूर्णतः अविधिक है । धारा 20–ए स्पेशिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत

विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दावा अपोषणीय है । मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया बनाम सेच्चुरी टैक्सटाईल सिविल अपील संख्या 10951/2016 में आदेश पारित कर यह निर्देशित किया है कि अपीलांट द्वारा किये जा रहे कार्य जनहित के कार्य है जिनको अस्थाई निषेधाज्ञा से बाधित नहीं किया जा सकता है । इसी प्रकार मान0 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रार्थना पत्र टीए संख्या 5020/2017 अजमेर श्रीमती अनहिता बनाम पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमि0 में आदेश दिनांक 16.11.2017 पारित करते हुए यह आदेशित किया है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा किये जा रहे कार्य को रोकन का विधिक अधिकार प्राप्त नही है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 20.8.2020 निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 10951/2016 में पारित आदेश एवं राज0 उच्च न्यायालय द्वारा पॉवर ग्रिड बनाम सुरेन्द्र मालू में पारित आदेश की फोटो प्रतियां पेश की ।

5. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 20.8.2020 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब पेश होने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 436/1 रकबा 1.9094 है0 भूमि वाके ग्राम थला, तहसील फागी, जिला जयपुर स्थित आराजियात में प्रार्थी की खातेदारी भूमि में निर्माण नही करे, पोल खम्भे आदि नहीं लगाये एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 6.10.2020 नियत की गई। अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश है न कि अंतिम । मूल प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है जिसमें बाद जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई के गुणावगुण पर निर्णय किया जावेगा । अपीलांट का अपील के दौरान कथन रहा है कि अपीलांट पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार उद्यम) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है जो कि उच्च शक्ति विद्युत परिक्षण लाईनों तथा क्षेत्रीय व राष्ट्रीय ग्रिड स्थापना व संचालन के कार्य में संलग्न है । अधी0न्याया0 के अपीलाधीन अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश से अपीलांट द्वारा राष्ट्रहित में किये जा रहे अजमेर–फागी 765 केवी डी/सी लाईन के निर्माण कार्य में व्यवधान आ रहा है तथा अपीलांट द्वारा उक्त कार्य दिनांक 31.12.2020 से पूर्व किया जाना निर्देशित है । चूंकि अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित हो चुके है। अपीलांट ने जो ऐतराज अपील में उठाये है वे अधी0न्याया0 के समक्ष अपने जवाब प्रार्थना पत्र में पेश कर प्रार्थना पत्र में चाराजोही करनी चाहिये थी । मान0 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रकरण हाजा न्यायालय को स्थानातंरित किये जाने की जानकारी रेस्पो0 को होने के बावजूद रेस्पो0 न्यायालय हाजा के समक्ष लगभग तीन पेशियों से अनुपस्थित रहे है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.8.2020 अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश है न कि अंतिम आदेश । यद्यपि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने से पोषणीय नहीं है किन्तु हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण अधी0न्याया0 को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि अपीलांट के कथनानुसार धारा 20–ए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत

वाद एवं प्रार्थना पत्र की पोषणीयता के तथ्य के को ध्यान में रखकर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का अपीलांट/अप्रार्थी को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 को अधी0न्याया0 में नियत आगामी दिनांक को आवश्यक रूप से निर्णित करे ।

6. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 सहायक कलक्टर, फागी, जिला जयपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि धारा 20–ए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत वाद एवं प्रार्थना पत्र की पोषणीयता के तथ्य के को ध्यान में रखकर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का अपीलांट को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र को अधी0न्याया0 के समक्ष नियत आगामी पेशी दिनांक पर आवश्यक रूप से गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर